

रिपोर्ट पटवारी हस्ता/आई०एल०आर० पत्रावली
 के मुताबिक खता सं 250, 369, 370 में प्राचीन नाम बन्वारी पुठ नारायण एवं बन्वारी पुठ नारायण (आबाद गाँव, पटवारी पुठ) में नाम बन्वारी पुठ नारायण एवं बन्वारी पुठ नारायण के आबाद पर उक्त आदेश आदेशानुसार भी प्रस्तावित है।

ग्राम पंचायत-पटवारी
 सं.स. उदयपुरवाटी (शुद्ध)
 कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागोडजी
 दिनांक - 15/12/20

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभियोग्य की जाती है/यही की जाती है।

उक्त नाम जान ग्यि

15/12/20
 तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागोडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला शुद्ध (राज.)
 :- आदेश :-

प्रशासन गावों के संग अभियान 2020

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (मू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागोडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (मू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागोडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी-सम्बन्ध	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	पटवारी	2075 - 2078	250, 369, 370	बन्वारी पुठ नारायण	बन्वारी पुठ नारायण

नोट :- शेष प्रविष्टियाँ यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 15/12/20

क्रमांक :- राजस्व/2020/2291

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (मू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागोडजी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीयाँको सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी